

समक्ष भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक (अपीलीय) अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 1314 / 2013

सत्य राज सिंह

अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2464 / 2000 में दिनांक 03-09-2009 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिससे उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यहां-अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया और अपर सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 690 / 1999 में दिनांक 30-08-2000 को पारित आदेश को सही ठहराया, जिसमें अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 / 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास और 10000 रु का जुर्माना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, भोगे जाने का दण्डादेश दिया ।
2. इस अपील में शामिल विवादकों का मूल्यांकन करने हेतु नीचे दिए गए सुसंगत तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है ।
3. अभियुक्तों यथा सत्य राज सिंह (यहां अपीलार्थी), संतोष तथा अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल को

भइया उर्फ नरेन्द्र की हत्या करने के लिए भा.द.सं. की धारा 302/34 के अधीन अभियोजित किया गया था।

4. अपर सत्र न्यायाधीश कटनी ने दिनांक 30-08-2000 के अपने निर्णय/आदेश द्वारा अपीलार्थी सत्य राज सिंह को भइया उर्फ नरेन्द्र की हत्या करने का दोषी पाया और तदनुसार उन्हें भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया। जहां तक दो अन्य अपराधी यथा संतोष और अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल का संबंध है, दोनों को आरोप से मुक्त कर दिया गया था।
5. अपीलार्थी सत्य राज सिंह व्यथित हुआ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में अपराधिक अपील दाखिल की। जहां तक राज्य का संबंध है, अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश के उस भाग के विरुद्ध, जिसके द्वारा दो अन्य अपराधी संतोष और अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल को दोषमुक्त किया गया था, कोई अपील संस्थित नहीं की गई थी। इस प्रकार संतोष तथा अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल की दोषमुक्ति का आदेश अंतिम हो गया।
6. आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने सत्य राज सिंह द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया जिससे केवल अपीलार्थी सत्य राज सिंह द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील किए जाने का आधार उत्पन्न हुआ।
7. अभियोजन द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध स्थापित मामला तथा जो अपीलार्थी के खिलाफ साबित किया गया, निम्नवत है।
8. घटना दिनांक 19/09/1999 को लगभग सायं 7 बजे इमलिया गांव में घटित हुई। चार व्यक्ति यथा भइया उर्फ नरेन्द्र (मृतक), रवीन्द्र सिंह (अ.सा.-1), झल्लू उर्फ महेन्द्र (अ.सा.-3), तथा अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल उली सिंह के घर के सामने अपने चबूतरे (घर के सामने छोटा सा स्थान) पर बैठे थे। वे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे।
9. उस वक्त अपीलार्थी संतोष के साथ आया और अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल से बातचीत करने की अपनी इच्छा जाहिर की, तब तीनों अभय राज सिंह उर्फ ददू के घर के समीप गए।
10. तब अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल वापस आया और भइया उर्फ नरेन्द्र (मृतक) को कुछ बात करने के लिए 2 मिनट के लिए बुलाया किन्तु भइया ने उत्तर दिया कि उसे गौ-सेवा

के लिए घर जाना है । तब अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल ने भइया से कहा कि कोई महत्वपूर्ण अत्यावश्यक बात है जो उसे उससे करनी है और, इसलिए उसे, उसके साथ आना चाहिए ।

11. तदनुसार, भइया अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल से बातचीत करने गया । उस वक्त झल्लू, जो अभी तक चबूतरे पर बैठा था, ने रवीन्द्र सिंह से कहा कि उन्हें कुछ सामान खरीदने बाजार जाना था । तदनुसार, रवीन्द्र सिंह और झल्लू बाजार के लिए चल दिए । जब वे बाजार की ओर जा रहे थे और अभय राज सिंह के घर के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सत्य राज सिंह (यहां—अपीलार्थी) भइया उर्फ नरेन्द्र के गले पर और उसके आसपास गुप्ती (एक प्रकार का चाकू) से हमला कर रहा था जबकि अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल और संतोष उसके पास खड़े थे ।
12. उन्हें देखने पर सत्य राज सिंह (यहां—अपीलार्थी) और संतोष दोनों घटना स्थल से भाग गए । झल्लू घटना देखकर भइया उर्फ नरेन्द्र (मृतक) की ओर दौड़ा जबकि रवीन्द्र, सत्य राज सिंह के पीछे भागा, कुछ दूर बाद सत्य राज सिंह तथा संतोष दोनों पीछे मुड़े और झल्लू और रवीन्द्र को उनका पीछा न करने की धमकी दी अन्यथा वे उन पर भी हमला कर देंगे ।
13. डर के कारण दोनों ने पीछा करना छोड़ दिया और वापस लौट आए । आहत भइया को अभय राज सिंह के घर ले जाया गया क्योंकि घटना उसके घर के समीप हुई थी ।
14. इसके पश्चात् अगली सुबह अर्थात् 20-09-2009 को रवीन्द्र (अ.सा.-1) ने पुलिस थाना बड़वारा, जिला कटनी में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 108/1999, भा.द.सं. की धारा 302/34 के अधीन अपराध कारित करने हेतु कायम किया गया । सत्य राज सिंह, यहां —अपीलार्थी, संतोष, तथा अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल को गिरफ्तार किया गया और उक्त अपराध को कारित करने के लिए विचारित किया गया । अन्वेषण किया गया । कई लोगों के बयान दर्ज किए गए । वस्तुओं की जब्ती भी की गई । शव—परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की और तत्पश्चात् आरोप—पत्र दाखिल किया गया । यह प्रकरण सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया ।
15. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में 16 साक्षियों की परीक्षा की । द.प्र.सं., 1973 की धारा 313 की कार्यवाही के तहत अभियुक्तों के बयान भी दर्ज किए गए ।

16. जैसा ऊपर बताया गया है, अपर सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 30-08-2008 के निर्णय/आदेश द्वारा अपीलार्थी सत्य राज सिंह को भा.द.सं. की धारा 302/34 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया जबकि संतोष और अर्जेन्ट उर्फ प्रभु दयाल को आरोपों से मुक्त कर दिया था ।
17. अपीलार्थी व्यथित हुआ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि और दण्डादेश के विरुद्ध अपील दाखिल की । आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दिए गए दण्डादेश को बरकरार रखा जिससे अभियुक्त सत्य राज सिंह द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत किये जाने का आधार उत्पन्न हुआ ।
18. इस अपील में विचारण हेतु जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह है कि क्या निचले दोनों न्यायालय (सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय) मृतक भइया उर्फ नरेन्द्र की हत्या का अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने में न्यायसंगत थे?
19. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर हम ने इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाया ।
20. शुरू में ही, हम उस एक सिद्धान्त को ध्यान में रख सकते हैं, जो प्रारंभ से ही इस न्यायालय द्वारा लगातार दोहराया गया है, कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन इस न्यायालय का कार्य नहीं है और तथ्य के किसी बिन्दु पर तर्क या बहस जो निचली अदालतों में प्रचलित नहीं की गयी अपीलार्थीगणों द्वारा इस न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है (देखें लक्ष्मण सिंह व अन्य बनाम राज्य, ए.आई. आर. 1952 सु. को. 167 में पीठ की ओर से बोलते हुए विद्वान न्यायमूर्ति सय्यैद फजल अली का संप्रेषण,)
21. अभी हमने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और दोनों निचले न्यायालयों के निर्णयों का भी परिशीलन यह जान पाने के विचार से किया कि क्या दोनों न्यायालय प्रश्नगत अपराध को कारित करने हेतु अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने में न्यायसंगत थे ?
22. अपीलार्थी (अभियुक्त सत्य राज सिंह) द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश के निर्णय आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष दो आधारों पर चुनौती दी गई थी ।
23. एक आधार था कि अपर सत्र न्यायाधीश ने उन साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विश्वास करने

में त्रुटि की थी, जिन्हें अभियोजन द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में बुलाया गया था और दूसरा, चूंकि परिवादी (अ.सा.-1) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिविलंब से दर्ज कराई गई थी, इसलिए, अभियोजन का संपूर्ण मामला अपीलार्थी के लिए संदेहास्पद और कमजोर हो जाता है और अंतिम रूप से कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन पर, अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं बनता गया ।

24. अपीलार्थी द्वारा, दोषसिद्धि, तथा दण्डादेश की वैधता और शुद्धता को प्रश्नगत करते हुए वैसे ही असफल तर्क, जैसे कि उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, इस न्यायालय के विचारण हेतु भी प्रस्तुत किए गए किन्तु तर्कों का मूल्यांकन करने पर, हमने उनमें से किसी में भी गुणागुण नहीं पाया। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय इन तर्कों को खारिज करने तथा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में सही था ।
25. अ.सा.-1 रवीन्द्र सिंह, झल्लू उर्फ महेन्द्र (अ.सा.-3), रामशंकर (अ.सा.-2), गीताबाई (अ.सा.-6), तथा अभय राज (अ.सा.-4) के साक्ष्यों ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया ।
26. जहां तक अ.सा.-1 तथा अ.सा. - 3 के साक्ष्य का संबंध है, उन्होंने वास्तव में घटना देखी तथा कहा कि अपीलार्थी ने मृतक के गले व उसके आसपास गुप्ती से हमला किया । उन्होंने यह भी अभिकथन किया कि उन दोनों ने अपीलार्थी द्वारा किया गया हमला देखने पर, अपीलार्थी और संतोष का पीछा किया ।
27. जहां तक अ.सा.-4 (अभय राज) के साक्ष्य का संबंध है, वो वह व्यक्ति था जिसके घर में घायल अवस्था में मृतक घटना के तुरंत बाद लाया गया था और जहां वो मरा । अ.सा.-4 ने मृतक की हालत और उसको आई चोटों की प्रकृति को भी देखा ।
28. जहां तक अ.सा.-6 के साक्ष्य का संबंध है, वह मृतक की बहन होने के कारण घटना की सूचना मिलने पर अभय राज के घर को दौड़ी जहां भइया उर्फ नरेन्द्र घायल अवस्था में पड़ा हुआ था । उसने बयान दिया कि उसको देखने पर भइया ने उसे गले लगाया और कहा कि अपीलार्थी ने उस पर हमला किया था । कुछ देर बाद, भइया क्षतियों (चोटों) के कारण मर गया ।
29. उपरोक्त वर्णित साक्षियों के साक्ष्य को पढ़ने से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ

है कि भइया उर्फ नरेन्द्र मृतक पर हमला अपीलार्थी द्वारा उसके गले व आसपास किया गया था। अ.सा.-5, डॉ.आर.सिद्धा, ने अपनी शव-परीक्षण रिपोर्ट में भी चोटों, उनकी प्रकृति तथा वे जगह जहां मृतक को चोटें आयी थी, की पुष्टि की ।

30. हम इन साक्षियों के कथनों में किसी भी विसंगति या विरोधाभास को नोटिस करने में सफल नहीं रहे, जो हमें किसी तात्विक मुद्दे पर उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकें । हमारे विचार में, उनके अभिसाक्ष्य स्वाभाविक और संगत तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में के अपने कथनों से विरोधाभास मुक्त होने के कारण विश्वास किए जाने योग्य हैं ।
31. जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप अवधारित किया गया, उनके कथनों में जहां-तहां छोटी विसंगतियों को, जो कथनों के सार को प्रभावित नहीं करती, है। उनके संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अस्वीकृत करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है । अतः हम, उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत हैं ।
32. जहां तक अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता के अगले तर्क का संबंध है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में देरी हुई थी, अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, यह भी उच्च न्यायालय द्वारा उचित ही खारिज किया गया ।
33. यह विवादित नहीं है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 19-09-1999 को सायं 7:30 को घटित हुई जबकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन अर्थात् 20-09-1999 को लगभग सुबह 9:00 अ.सा.-1 द्वारा दर्ज करायी गई । यह भी विवादित नहीं है कि घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लगभग 25 किमी० दूर था ।
34. हमारे विचार में, चूंकि घटना के कुछ ही घण्टों बाद भइया मर गया और उस वक्त अंधेरा हो गया था इसलिए, परिवादी के लिए यह संभव नहीं था कि वह तत्काल रात में ही रिपोर्ट/ एफ. आई. आर. दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाए जो घटना स्थल से लगभग 25 किमी० दूर था । इन परिस्थितियों में, यदि अ.सा.-1 अगली दिन सुबह रिपोर्ट/एफ. आई.आर.दर्ज कराने निकला और लगभग 9:30 सुबह रिपोर्ट/एफ. आई.आर.दर्ज करायी, यह नहीं कहा जा सकता कि रिपोर्ट/एफ. आई. आर. दर्ज कराने में देरी हुई थी ।

35. अतः हम, निचले दोनों न्यायालयों, जिन्होंने हमारे विचार में अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध के किए जाने के लिए उचित ही दोषी ठहराया है, के तर्कों और निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई अच्छा आधार नहीं पाते ।
36. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, अपील किसी भी गुणागुण विहीन पायी गई और तदनुसार निरस्त की जाती है ।

नई दिल्ली
28 जनवरी 2019

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे
न्यायमूर्ति इन्दू मलहोत्रा

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।